न्यायालय अतिरिक्त जिला कलक्टर,झुन्झुनू

पीठासीन अधिकारी :–

राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल
आर.ए.एस.

अपील संख्या :– 38/2019

1. श्रीमती भागली देवी उम्र 72 वर्ष पत्नी हनुमानराम जाति जाट निवासी, नापाली तहसील नीमकाथाना, जिला झुन्झुनूं।
2. श्रीमती चावलीदेवी उम्र 67 वर्ष पत्नी मालाराम जाति जाट निवासी नापाली तहसील नीमकाथाना, जिला झुन्झुनूं।

–अपीलार्थी

–बनाम–

1. राजस्थान सरकार जरिये तहसीलदार उदयपुरवाटी, जिला झुंझुनू।
2. घासीराम आयु 60 वर्ष पुत्र झूंथाराम जाति जाट निवासी चक जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी जिला झुंझुनू।

–रेस्पोडेंट

प्रथम अपील अं0धारा 75 राजस्थान भू–राजस्व अधि0 विरूद्ध आदेश
इंतकाल नंबर 146 दिनांक 12.12.2004 ग्राम पंचायत जोधपुरा
पंचायत समिति उदयपुरवाटी

उपस्थितिः–

1 .श्री मदन सिंह गिल, एडवोकेट ––––– ––––– ––––––––अपीलान्ट की ओर से ।
2. श्री श्रवण कुमार सैनी,एडवोकेट––––––––––––––––––––रेस्पोडेन्ट नं.1 की ओर से।
3. श्री तरूण कुलहरि, एडवोकेट ––––––––––––––––– रेस्पोंडेंट नंबर–2 की ओर से।

–निर्णय– दिनांक 30.09.2019

उक्त अपील विरूद्ध विरूद्ध आदेश इंतकाल नंबर 146 दिनांक 12.12.2004 ग्राम पंचायत जोधपुरा, पंचायत समिति उदयपुरवाटी के विरूद्ध पेश की गई। संक्षेप में अपील के तथ्य इस प्रकार हैं

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

कि– अपीलार्थीगण के पिता झूंथाराम पुत्र धन्नाराम काश्तकार पेशा व्यक्ति था, उसकी खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नंबर 53 रकबा 0.44 हैक्टर खसरा नंबर 54 रकबा .57 हैक्टर, खसरा नंबर 67 रकबा .28 हैक्टर कुल रकबा 1.29 हैक्टर खतौनी मई 32 पुरानी 36, खसरा नंबर 70 रकबा .81 हैक्टर, खसरा नंबर 71 रकबा .10. हैक्टर कुल रकबा 1.88 हैक्टर खतौनी संख्या नई 33 पुरानी 35 खसरा नंबर 74 रकबा 0. 05 हैक्टर गैर मु0 कुआ खतौनी संख्या 34 पुरानी 37 खसरा नंबर 72 रकबा .17 हैक्टर ग्राम चक जोधपुरा पटवार हल्का सराय तहसील उदयपुरवाटी में स्थित थी। अपीलार्थीगण के पिता का देहान्त 09.11.2001 को ग्राम चक जोधपुरा में हो गया था। अपीलार्थीगण झुंथाराम की जायन्दा पुत्री होने के नाते उसकी वारिस हैं, झुंथाराम की मृत्यु पर उनके उपरोक्त खातेदारी की भूमि में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट घासीराम 1/3 हिस्से के खातेदार हुये इसलिये झूंथाराम का विरासतन इंतकाल अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट घासीराम के हक प्रत्येक का 1/3 हिस्सा मानते हुये भरा जाना था। अपीलार्थीगण अपने ससुराल में रहती है,गांव में रेस्पोडेन्ट घासीराम ही रहता था घासीराम ने पटवारी हल्का सराय से साजकर राजस्व कैम्प में नामान्तरकरण रजिस्टर में अपने अकेले के नाम से रिपोर्ट करवा ली जिस पर ग्राम पंचायत के सरपंच एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी ने 13.12.2004 को बिना जांच किये ही केंम्प में तस्दीक कर दिया। इंतकाल भरने से पूर्व रेस्पोडेंट घासीराम व पटवारी हल्का ने अपीलार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी न वारीसान बाबत कोई जांच की गई। अपीलार्थीगण की पैत्रिक काश्त कब्जा की भूमि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट घासीराम के संयुक्त कब्जा की है। विरासतन इंतकाल मृतक के सभी वारीसान के हक में किया जाना चाहिए था। अकेले रेस्पोडेंट घासीराम के पक्ष में अवैध है। उक्त इंतकाल अपीलार्थीगण के टीनेन्सी अधिकारों के विरूद्ध शून्य दस्तावेज है। अपीलार्थीगण अपने ससुराल में रहती हैं । हल्का पटवारी से जमाबंदी की नकल प्राप्त होने पर उक्त नामांतरकरण की जानकारी हुई। अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल नंबर 146 ग्राम चक जोधपुरा निरस्त फरमाई जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत जोधपुरा को रिमाण्ड फरमाया जाकर आदेश दिया जावे कि मामले की पुनः सुनवाई कर अपीलार्थीगण को शामिल करते हुये पुनः इन्तकाल भरा जावे।

अपील पेश होने पर दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्ट को तारीख पेशी की सूचना नकल अपील के साथ भेजकर दी गई। मिसल मातहत तलब की गई। मिसल मातहत प्राप्त होने पर बहस उभय पक्ष सुनी गई।

दौराने बहस वकील अपीलार्थी ने अपील अंकित तथ्यों को दौहराते हुए बताया कि– अपीलार्थीगण के पिता झूंथाराम पुत्र धन्नाराम काश्तकार पेशा व्यक्ति था, उसकी खातेदारी काश्त की भूमि खसरा नंबर

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झुनू

53 रकबा 0.44 हैक्टर खसरा नंबर 54 रकबा .57 हैक्टर, खसरा नंबर 67 रकबा .28 हैक्टर कुल रकबा 1. 29 हैक्टर खतौनी मई 32 पुरानी 36, खसरा नंबर 70 रकबा .81 हैक्टर, खसरा नंबर 71 रकबा .10. हैक्टर कुल रकबा 1.88 हैक्टर खतौनी संख्या नई 33 पुरानी 35 खसरा नंबर 74 रकबा 0.05 हैक्टर गैर मु0 कुआ खतौनी संख्या 34 पुरानी 37 खसरा नंबर 72 रकबा .17 हैक्टर ग्राम चक जोधपुरा पटवार हल्का सराय तहसील उदयपुरवाटी में स्थित थी। अपीलार्थीगण के पिता का देहान्त 09.11.2001 को ग्राम चक जोधपुरा में हो गया था। अपीलार्थीगण झुंथाराम की जायन्दा पुत्री होने के नाते उसकी वारिस हैं, झुंथाराम की मृत्यु पर उनके उपरोक्त खातेदारी की भूमि में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट घासीराम 1/3 हिस्से के खातेदार हुये इसलिये झूंथाराम का विरासतन इंतकाल अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट घासीराम के हक प्रत्येक का 1/3 हिस्सा मानते हुये भरा जाना था। अपीलार्थीगण अपने ससुराल में रहती है,गांव में रेस्पोडेन्ट घासीराम ही रहता था घासीराम ने पटवारी हल्का सराय से साजकर राजस्व कैम्प में नामान्तरकरण रजिस्टर में अपने अकेले के नाम से रिपोर्ट करवा ली जिस पर ग्राम पंचायत के सरपंच एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी ने 13.12.2004 को बिना जांच किये ही केंम्प में तस्दीक कर दिया। इंतकाल भरने से पूर्व रेस्पोडेंट घासीराम व पटवारी हल्का ने अपीलार्थीगण को कोई सूचना नहीं दी न वारीसान बाबत कोई जांच की गई। अपीलार्थीगण की पैत्रिक काश्त कब्जा की भूमि अपीलार्थी व रेस्पोडेन्ट घासीराम के संयुक्त कब्जा की है। विरासतन इंतकाल मृतक के सभी वारीसान के हक में किया जाना चाहिए था। अकेले रेस्पोडेंट घासीराम के पक्ष में अवैध है। उक्त इंतकाल अपीलार्थीगण के टीनेन्सी अधिकारों के विरूद्ध शून्य दस्तावेज है। अपीलार्थीगण अपने ससुराल में रहती हैं । अतः अपील अपीलार्थीगण स्वीकार फरमाई जाकर इंतकाल नंबर 146 ग्राम चक जोधपुरा निरस्त फरमाई जाकर प्रकरण ग्राम पंचायत जोधपुरा को रिमाण्ड फरमाया जाकर आदेश दिया जावे कि मामले की पुनः सुनवाई कर अपीलार्थीगण को शामिल करते हुये पुनः इन्तकाल भरा जावे।

दौराने बहस पैरोकार सरकार ने बताया कि हल्का पटवारी द्वारा बाद जांच उक्त नामान्तरकरण भरकर पेश होने पर भू0अ0निरीक्षक द्वारा रेकार्ड मिलाने करने के उपरान्त ग्राम पंचायत द्वारा तस्दीक किया गया है, जिसमें कोई विधिक त्रुटि नहीं होने से अपील अपीलांट खारिज किये जाने का निवेदन किया गया।

दौराने बहस वकील रेस्पोंडेंट संख्या 2 ने अपील के तथ्यों को स्वीकार किया तथा जाहिर किया कि अपील अपीलांट स्वीकार की जाती है तो उनको कोई आपति नहीं है।

अति. जिला कलेक्टर
झुन्झनू

मैंने पत्रावली का अवलोकन किया एवं विद्वान अभिभाषकगण की बहस पर मनन किया। अपीलार्थीगण का कथन कि अपीलार्थीगण के पिता का देहान्त 09.11.2001 को ग्राम चक जोधपुरा में हो गया था। अपीलार्थीगण झुंथाराम की जायन्दा पुत्री होने के नाते उसकी वारिस हैं, झुंथाराम की मृत्यु पर उनके उपरोक्त खातेदारी की भूमि में अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेन्ट घासीराम 1/3 हिस्से के खातेदार हुये इसलिये झूंथाराम का विरासतन इंतकाल अपीलार्थीगण एवं रेस्पोडेंट घासीराम के हक प्रत्येक का 1/3 हिस्सा मानते हुये भरा जाना था। घासीराम ने पटवारी हल्का सराय से साजकर राजस्व कैम्प में नामान्तरकरण रजिस्टर में अपने अकेले के नाम से रिपोर्ट करवा ली जिस पर ग्राम पंचायत के सरपंच एवं तहसीलदार उदयपुरवाटी ने 13.12.2004 को बिना जांच किये ही केंम्प में तस्दीक कर दिया। अपीलांट के कथनों की ताईद रेस्पोडेंट नंबर–2 के विद्वान अधिवक्ता ने की है । ऐसी स्थिति में प्रकरण के तथ्यों एवं परिस्थितियों को देखते हुये अपील अपीलांट स्वीकार किया जाना न्यायोचित प्रतीत होता है।

अतः उपरोक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांट स्वीकार की जाकर इंतकाल नंबर 146 दिनांक 12.12.2004 ग्राम पंचायत जोधपुरा तहसील उदयपुरवाटी निरस्त किया जाता है। तथा प्रकरण तहसीलदार उदयपुरवाटी को प्रति प्रेषित किया जाता है कि वे मृतक झूथाराम के वारीसान को सुनवाई कर सही वारीसान की जांच कर विधिक प्रावधानों के अन्तर्गत पुनः नामांतरकरण भरा जावे। मिसल मातहत अदालत आदेश प्रति सहित लौटाई जावे। पत्रावली नम्बर से कम की जाकर फैसल शुमार हो एवं बाद तकमील जाप्ता दाखिल दफ्तर हो।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू

निर्णय आज दिनांक 30.09.2019 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर, बाद मेरे हस्ताक्षर एवं इस न्यायालय के मुद्रांकित खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(राजेन्द्र प्रसाद अग्रवाल)
अतिरिक्त जिला कलक्टर,
झुंझुनू